

भारत में वधायी कार्य-उत्पादकता

प्रलम्बित के लिये:

[लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय](#), [लोकसभा](#), [संसद की उत्पादकता](#), [स्थगन](#), [संसदीय समितियाँ](#), [राज्यसभा](#)

मेन्स के लिये:

संसद के कामकाज से संबंधित मुद्दे और संसद की कार्य-उत्पादकता में सुधार के उपाय

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

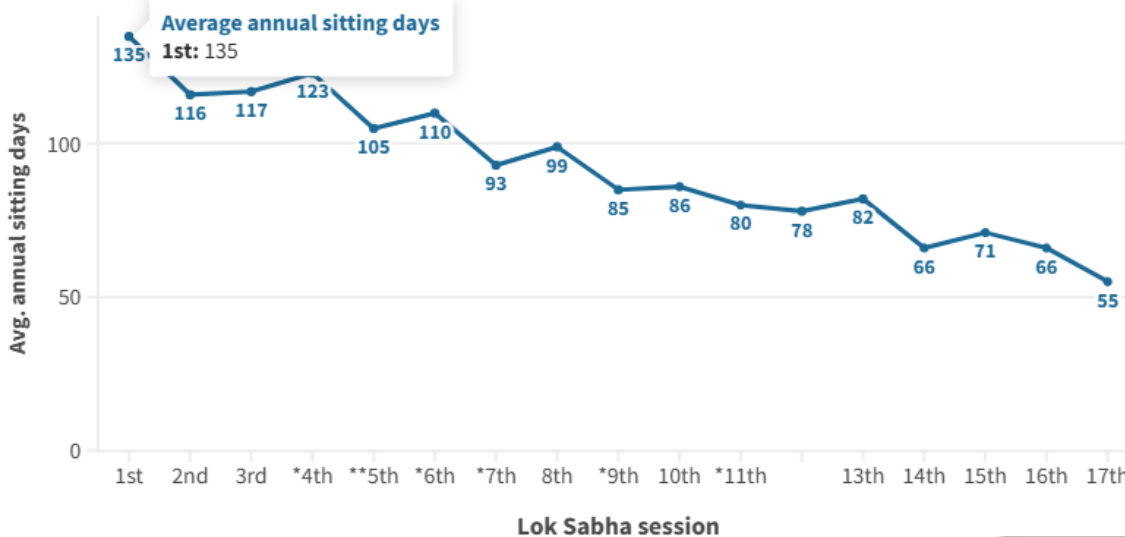
चर्चा में क्यों?

[लोकसभा अध्यक्ष](#) ने [शहरी स्थानीय निकायों \(ULB\)](#) के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वधायी कार्य-उत्पादकता में वृद्धि तथा वमिर्श की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत में वधायी कार्य-उत्पादकता की स्थितिकिया है?

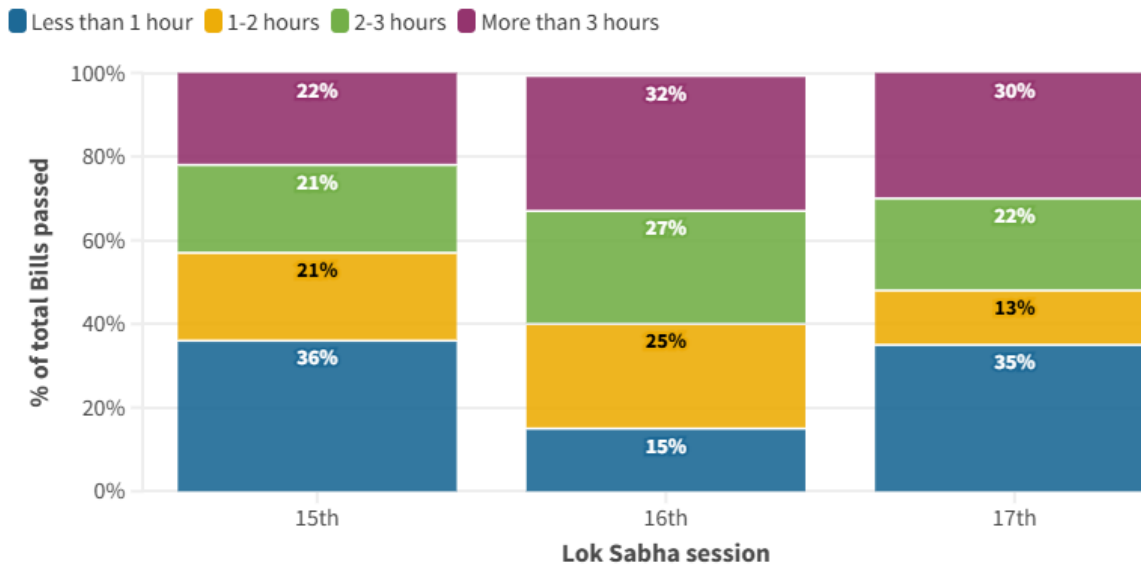
- वधायी कार्य-उत्पादकता से तात्पर्य उस दक्षता और प्रभावशीलता से है जिसके साथ संसद और राज्य वधानमंडल जैसे वधायी निकाय अपने मुख्य कार्यों जैसे- कानून निर्माण, कार्यकारी निरीक्षण, बजट अनुमोदन और राष्ट्रीय/सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों पर बहस करते हैं।
- स्थिति:
 - बैठक के दिनों की संख्या: संसद के बैठक दिनों की संख्या घटकर पहले लोकसभा में लगभग 135 दिनों प्रतिवर्ष से 17वीं लोकसभा में लगभग 55 दिनों प्रतिवर्ष रह गई है।
 - प्रत्येक बैठक की अवधि: गहन वधायी विचार-विमर्श के लिये लंबी बैठकें आवश्यक हैं। हालाँकि वर्ष 2023 के बजट सत्र में, लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः निर्धारित समय का केवल 33% तथा 24% ही कार्य कर पाएंगी, जिससे यह वर्ष 1952 के बाद से छठा सबसे छोटा बजट सत्र बन जाएगा।
 - उपस्थिति सदस्यों की संख्या: 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान सांसदों की औसत उपस्थिति जहाँ 79% रही, वहीं संसदीय बहसों में उनकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखी गई; इस अवधि में सांसदों ने औसतन केवल 45 बहसों में भाग लिया।

Average annual sitting days



- व्यवधान का स्तर: बार-बार होने वाले व्यवधान, जैसे- नारेबाजी और बहर्गमन, बहस के समय को काफी कम कर देते हैं। 15वीं लोकसभा (2009-14) में व्यवधानों के कारण निर्धारित समय का 30% से अधिक समय बर्बाद हुआ, जिससे वधायी कार्य-उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हुई।
- संसदीय समितियों द्वारा जाँच: 17वीं लोकसभा में, केवल 10% वधियक समितियों को भेजे गए, जो 14वीं लोकसभा (60%), 15वीं (71%) और 16वीं (25%) की तुलना में काफी कम है, जहाँ केवल 14 वधियकों की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में समितियों के भीतर बढ़ते दलीय मतभेदों ने द्विदलीय जाँच को कमजोर कर दिया है, जिससे वधायी समीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
- व्यचार-व्यमिश्र की कार्यप्रणाली: कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिये आवश्यक [?] और [?] जैसे उपकरण या तो अपर्याप्त रूप से उपयोग किये गए या पूरी तरह अनुपस्थिति रहे। 17वीं लोकसभा में प्रश्नकाल लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में मात्र 9% निर्धारित समय में ही संचालित हुआ।

Time taken to pass bills



Source: PRS India • The Hindu Graphics

- सांसदों के नज्जी वधियकों की प्रस्तुति: स्वतंत्रता के बाद से अब तक 300 से अधिक नज्जी वधियक प्रस्तुत किये गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 14 ही पारित हुए हैं। अंतिम नज्जी वधियक वर्ष 1970 में पारित हुआ था।
- संवधानिक प्रावधानों में देरी: अनुच्छेद 93 के अंतर्गत उपाध्यक्ष (डप्टी स्पीकर) का पद 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में रिक्त रहा, जबकि संवधान में इसे "यथाशीघ्र" चुने जाने की आवश्यकता बताई गई है।
- सहमत-आधारित कानून निर्माण में गतिरोध: सरकार और विपक्ष के बीच सहमत बनाने की परंपरा काफी कमजोर हो गई है, जिससे महत्वपूर्ण वधियकों को न्यूनतम बहस तथा निरंतर बाधाओं के बीच पारित किया जा रहा है।
 - वर्ष 1950 से अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक का उपयोग किया जाना, उन व्यवस्थाओं के क्षरण को दर्शाता है जो वधायी गतिरोधों को सुलझाने के लिये बनाई गई थी।

वधायिका की नमिन कार्य-उत्पादकता के प्रमुख नहितार्थ क्या हैं?

- **नगिरानी की कमजोरी:** बैठक के दिनों की कमी, नरितर बाधाएँ और प्रश्नकाल का अपर्याप्त उपयोग कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने की वधायिका की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे **संसदीय नगिरानी कमजोर पड़ती है** तथा बिना जाँच के नरिणय लेने की प्रवृत्ति बढती है।
- **कम गुणवत्ता वाला कानून नरिमाण:** संसदीय समितियों को दरकिनार कर वधियकों को बिना पर्याप्त बहस के जल्दबाजी में पारति करना **कानून की गहनता, वैधता और प्रभावशीलता** से समझौता करता है, जिससे **न्यायिक समीक्षा तथा कार्यान्वयन में चुनौतियों** का जोखमि बढ जाता है।
- **वपिक्ष का हाशिये पर जाना:** बहस के लिये **सीमति समय, नजी वधियकों की अनुपस्थिति और वपिक्ष की भागीदारी पर रोक समावेशी कानून नरिमाण को कमजोर करती है**, सहमतिबिाने की प्रक्रिया को बाधति करती है तथा लोकतंत्र में असहमति की भूमिका को कमजोर करती है।
- **लोक वशिवास में गरिावट:** वधायी प्रणाली की अक्षमता की धारणा लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों के वशिवास को कमजोर करती है, जिससे **राजनीतिक उदासीनता, मतदान में कमी और संस्थागत वैधता का क्षरण** होता है।
- **कार्यपालिका का अतकिरण:** वधायिका की भागीदारी कम होने से **कार्यपालिका को अध्यादेशों, अधिनस्थ कानूनों और कार्यकारी आदेशों** के माध्यम से संसद को दरकिनार करने का अवसर मलिता है, जिससे **संवैधानिक शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है** तथा **नयितरण एवं संतुलन प्रणाली** कमजोर होती है।

भारत में वधायी कार्य-उत्पादकता में सुधार के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- **सांसदों के लिये आचार संहति:** सांसदों (संसद सदस्यों) के आचरण को नयितरति करने के लिये एक औपचारिक आचार संहति नरिधारति की गई है, जिसका उद्देश्य **संसद की गरमि बनाए रखना, अवरोधों को कम करना और वधायी कार्य में रचनात्मक भागीदारी को बढावा देना** है।
- **प्रोद्योगिकी को अपनाना:** संसद ने वधायी कार्यक्षमता बढाने के लिये **डजिटल उपकरणों** को अपनाया है। कार्यवाही का सीधा प्रसारण सार्वजनिक नगिरानी को बढाता है, जिससे **सांसदों की जवाबदेही और अनुशासति व्यवहार को प्रोत्साहन** मलिता है।
 - **ई-वधिन (NeVA)** जैसी पहलें सभी राज्य वधिनसभाओं को कागजरहति बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिससे **रयिल-टाइम अपडेट और वधायी कार्य में पारदर्शति में सुधार** सुनिश्चित होता है।
- **संसदीय समितिप्रणाली को सुदृढ करना:** एक सशक्त संसदीय समितिप्रणाली, जिसमें वभाग से संबंधति स्थायी समितियों शामिल हैं, **वधियकों, नीतियों और कार्यपालिका की गतिविधियों** की वसितृत जाँच के लिये उपयोग की जाती है।
 - यह **वशिषज्जों के सुझावों को शामिल करने की अनुमति देती है** तथा वधायी चर्चाओं की गुणवत्ता और गहराई को मजबूत बनाती है।
- **अनुशासनात्मक तंत्र:** अनुशासनहीन व्यवहार से निपटने के लिये संसद नियमों का उल्लंघन करने वाले **सांसदों के नलिंबन या नषिकासन** जैसे अनुशासनात्मक उपाय लागू करती है। इनका उद्देश्य **सदन की गरमि बनाए रखना और कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालति** करना है।
- **वधायकों के लिये क्षमता नरिमाण:** लोक सभा सचवालय, PRS लेजसिलेटिव रसिर्च और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) जैसे नकियाँ द्वारा आयोजति **प्रशकिषण सत्र, कार्यशालाएँ एवं हैंडबुक**, वधायकों को प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं।

भारत में वधायी कार्य-उत्पादकता में सुधार के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **संस्थागत अनुशासन और नयिमति कार्यप्रणाली:** संसद के लिये **न्यूनतम बैठक दिवसों** को अनविर्य बनाया जाए तथा पूर्वानुमान तथा समयबद्ध वधिर-वमिर्य सुनिश्चित करने हेतु **वार्षिक वधायी कैलेंडर प्रकाशति** किये जाएँ।
 - आचरण को मानकीकृत करने और वधायी शषिटाचार को बनाए रखने के लिये सभी स्तरों पर **प्रक्रिया के आदर्श नियमों** को अपनाना।
- **समितियों एवं वधायी समीक्षा:** सभी स्तरों पर स्थायी एवं वषिय समितियों को वधियकों, बजटों और नीतियों की गहन समीक्षा/जाँच करने के लिये सशक्त बनाना।
 - महत्त्वपूर्ण वधियकों के लिये **समितिके संदर्भ अनविर्य** बनाना। कानून नरिमाण प्रक्रिया में आरंभिक चरण में ही वशिषज्जों और हतिधारकों की राय शामिल करने हेतु **पूर्व-वधायी परामर्शों को संस्थागत** बनाना।
- **जवाबदेही और पारदर्शति:** सांसदों की उपस्थिति, बहस में भागीदारी तथा मतदान रकिर्ण्ड की नगिरानी एवं प्रकाशन करना, बेहतर जवाबदेही के लिये **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** का उपयोग करना।
 - अनुशासनात्मक शक्तियों के माध्यम से व्यवधानों को रोकने के लिये **पीठासीन अधिकारियों** को सशक्त बनाना। पारदर्शति और जनता का वशिवास बढाने हेतु कार्यवाही की **लाइव स्ट्रीमिंग तथा अभलिखीकरण अनविर्य** करना।
- **संवाद और क्षमता नरिमाण:** सरकार और वपिक्ष के बीच आम सहमतिबिाने को प्रोत्साहति करके **व्यवधान** से संवाद की ओर बदलाव को बढावा देना।
 - वधायी गुणवत्ता और सूचति भागीदारी में सुधार के लिये पहली बार प्रतनिधियों को **प्रशकिषण तथा अभविन्यास** प्रदान करना।
- **नागरिक सहभागति और मान्यता:** ईमानदारी और जनसेवा में नहित **युवा नेतृत्व** को बढावा देना। **पुरस्कारों, अनुदानों और मानेसर सम्मेलन** जैसे मंचों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वधायकों को सम्मानति करें ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:** पारदर्शति, समावेशति और वधायी जानकारी तक पहुँच को बढावा देने वाले **IPU (अंतर-संसदीय संघ)** मानकों को अपनाना।
 - नश्चित बैठक दिवसों और अनविर्य समिति जाँच के **UK और जर्मन मॉडल** का अनुकरण करना।
 - प्रक्रियागत और नैतिक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये **कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके** जैसे देशों के साथ **सांसद/वधायक वनिमिय कार्यक्रम** शुरू करना।
 - **आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन** (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) की संसद से प्रेरति बेंचमार्क प्रक्रिया को प्रोत्साहति करना, जिसमें वधायी प्रदर्शन पर सार्वजनिक डैशबोर्ड शामिल हों।

नषिकरष:

लोकतांत्रिक जवाबदेही, गुणवत्तापूर्ण कानून निर्माण और उत्तरदायी शासन के लिये वधायी कार्य-उत्पादकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डिजिटल एकीकरण और समिति सुधारों में प्रगतिके बावजूद, व्यवधान, कम जाँच और कम बैठकें जैसी समस्याएँ प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। संस्थागत अनुशासन को मजबूत करना, द्विदलीय संवाद को बढ़ावा देना और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना, वकिसति भारत @2047 को साकार करने के लिये सभी स्तरों पर वधायिकाओं को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

भारत में वधायी कार्य-उत्पादकता में गरिवट के लिये ज़मिमेदार प्रमुख कारकों का वश्लेषण कीजिये और इसे मजबूत करने हेतु समग्र उपायों का प्रस्ताव करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न: नमिनलखिति में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं? (2022)

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना।
2. मंत्रपरिषद के वरुिद्ध अवशिवास प्रस्ताव पारति करना।
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभयिोग चलाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: B

??????

1. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को नश्चिति करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)